किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

निदेशालय के नियंत्रणाधीन प्रभागों में से किसी भी प्रभाग के दायित्व एवं क्रिया कलाप सीधे जनता से जुडे नहीं हैं अपितु सरकार की वित्तीय नीति एवं कार्यक्रमों के अधीन राज्य में सुव्यवस्थित वित्तीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण को बनाये रखने का दायित्व हैं। राज्य का बजट, समय-समय पर निर्धारित एवं विनिश्चित वित्तीय नीति राज्य की जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों से गठित राज्य सरकार के सदस्यों द्वारा ही निर्धारित होती हैं जिसमें उनकी पूर्ण सहभागिता रहती हैं। राज्य के पेंशनरों, विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के भुगतान संबंधी प्रकरण में गतिरोध की स्थिति में ऐसे पेंशनर संगठनों, सम्बन्धित अन्य संगठनों एवं व्यक्तियों की शिकायतों, परामर्श एवं विचारों का सम्मान करते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस पर नियम संगत कार्यवाही समय पर पूर्ण करते हुए गतिरोध को दूर किया जाता हैं। जिससे निदेशालय स्तर व उसके अधीन समस्त प्रभागों में शासकीय कार्य सम्पादन में अपेक्षित गति दी जा सके।